अखिल भारतीय भूतपूर्व आई.टी.बी.पी. बल कर्मी कल्याण संघ

चावला रेस्त्रां के निकट दशमेष नगर, वार्ड नं. 7 कुराली, जिला–सास नगर

एसोसिएशन का गठन

यह अखिल भारतीय भूतपूर्व आई.टी.बी.पी. बल कर्मी कल्याण संघ के कार्य प्रणाली से संबंधित मानदंडों को स्पष्ट एवं गठित करने के लिए उचित है एवं यह निम्नानुसार संकल्पित और अधिनियमित किया गया है–

प्रस्तावना

भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल संघ के एक सशस्त्र बल है जिसे भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम 1992 के तहत गठन कर देश की रक्षा और सेवा करने के लिए दूर्गम इलाकों में ड्यूटियां प्रदान किया गया है। समय के साथ सेवानिवृत्तों, आई.टी.बी.पी. के पूर्व कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और एसोसिएशन की गैर मौजूदगी में सेवानिवृत्त कर्मियों के कल्याण से संबंधित मुददे विस्तृत रूप से बाकी रह गया है। आई.टी.बी.पी. के सभी सेवानिवृत्त कर्मियों के कल्याण से संबंधित मुददों को हल करने के लिए अखिल भारतीय भूतपूर्व आई.टी.बी.पी. बल कर्मी कल्याण संघ का गठन किया गया है।

I. शीर्षक –

इस संस्थापना को अखिल भारतीय भूतपूर्व आई.टी.बी.पी. बल कर्मियों के कल्याण संघ हेतु इरादों और उद्देश्यों का संगठन कहा जा सकता है।

II. एसोसिएशन का नाम –

एसोसिएशन को सभी उद्देश्य एवं अभिप्राय हेतु 'ऑल इंडिया एक्स आई.टी.बी.पी. फोर्स पर्सनल वेलफेयर एसोसिएशन से जाना जाएगा एवं संक्षिप्त नाम 'AIEFPWA' होगा।

III. एसोसिएशन का पंजीकृत कार्यालय –

एसोसिएशन को सभी अभिप्राय एवं पत्राचार के लिए पंजीकृत कार्यालयी पता चावला रेस्त्रां के पास दशमेष नगर, वार्ड नं. 7 कुराली, जिला सास नगर होगा।

IV. संचालन का क्षेत्र –

एसोसिएशन के संचालन का क्षेत्र पूरे भारत में होगा।

V. लक्ष्य एवं विषयवस्तु –

अखिल भारतीय भूतपूर्व–आई.टी.बी.पी. बल कर्मी कल्याण संघ का गठन सेवानिवृत्त आई.टी.बी.पी. बल कर्मियों के कल्याण के लिए किया गया है एवं आगे इसी के सदृश मे–

1. AIEFPWA सेवानिवृत्त या भूतपूर्व आई.टी.बी.पी. बल कर्मियों, उनकी विधवाओं और उनके परिवारों की समस्याओं और कल्याण संबंधी मुद्दों को हल करने हेतु संघर्ष करेगा।
2. यह सुनिश्चित करेगा कि समय–समय पर केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृत लाभ वास्तव में सेवानिवृत्त आईटीबीपी बल कर्मियों, उनकी विधवाओं और परिवारों को प्रदान किये जाते हैं।
3. यह अन्य सभी समान संगठनों और संघों से संबद्ध होगा या सहयोगी होगा।
4. यह सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों की नीतियों के संबंध में केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा नीतियों का विश्लेषण और पुनरीक्षण करने के लिए सलाहकार और हस्तक्षेप निकाय के रूप में कार्य करेगा और इस संबंध में गृह मंत्रालय, कार्मिक प्रशिक्षण विभाग और केन्द्रीय और राज्य सरकार के ऐसे अन्य संस्थानों के साथ कार्यरत होगा।

Scanned by CamScanner

5. यह सेवानिवृत्त आई.टी.बी.पी. बल कर्मियों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए नीतियों से संबंधित मामलों पर संसदीय स्थायी समितियों, नीति आयोग और अन्य योजना निकायों और संस्थानों के साथ संलग्न होगा।

6. यह सभी न्यायालयों, ट्रिब्यूनल और अन्य न्यायिक निकायों के मामलों में एसोसिएशन और उसके सदस्यों का प्रतिनिधित्व करेगा।

7. यह एसोसिएशन के गतिविधियों से संबंधित किताबें, समाचार पत्र और समाचार लेख और अन्य संबंधित साहित्य का प्रकाशन करेगा।

8. यह अपनी गतिविधियों के बढ़ते क्रम मे नियतकालिक सम्मेलनों, संगोष्ठियों, प्रदर्शनियों, व्याख्यान और अन्य समान कार्यक्रम आयोजित करेगा।

9. यह मीडिया (इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट) के साथ संलग्न होगा और आई.टी.बी.पी. बल से संबंधित सभी मामलों पर मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करेगा।

10. यह आपातकालीन या मृत्यु आदि के लिए सामुदायिक सहारा देने के प्रयासों हेतु कार्य करेगा।

11. यह सेवानिवृत्ति रोजगार की तलाश करने वाले एसोसिएशन के सदस्यों की सहायता के लिए सरकारी एजेंसियों, इंडस्ट्रीज, बिजनेस एंटरप्राइजेज आदि के साथ सहयोग, संगठनों और साझेदारी में कार्यरत होगा।

12. यह जनता की राय, अच्छी इरादे और सामाजिक सम्मान का निर्माण करने हेतु संघर्ष एवं निष्पक्ष और सही व्यवहार करेगा।

13. यह अपने इन तथ्यों के समक्ष पुस्तकालयों, क्लबों और संस्थानों की स्थापना करेगा।

14. एसोसिएशन की आय और संपत्ति जो भी व्युत्पन्न है, पूरी तरह से इस संगठन में निर्धारित एसोसिएशन की वस्तुओं के लिए लागू की जाएगी और इसका कोई भी हिस्सा लाभ, बोनस या अन्यथा किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भुगतान या हस्तांतरित नहीं किया जाएगा चाहे लोग किसी भी समय से एसोसिएशन के सदस्य हैं या उनमें से किसी के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए दावा कर रहे हों, बशर्ते कि इसमें यह अन्तर्विष्ट नहीं है, कि एसोसिएशन के कर्मचारियों या किसी भी सदस्य को पारिश्रमिक के अच्छे विश्वास में भुगतान को रोकेगा।

Scanned by CamScanner

VI. शासी निकाय

शासी निकाय के मौजूदा सदस्यों का नाम, पता, व्यवसाय और पदनाम, जिनके लिए एसोसिएशन का प्रबंधन समाज पंजीकरण अधिनियम, 1860 की धारा 2 के तहत आवश्यक है, निम्नानुसार है –

क्र. सं.	नाम व पता	पद नाम	व्यवसाय	हस्ता
1.	महेन्द्र सिंह भुर्जी s/o सुरेन्द्र सिंह भुर्जी R/O म.नं.–1082, फेज–9 SAS NAGAR (mohali)	अध्यक्ष	IG ITBP (Retd)	
2.	देव राज शर्मा s/o जय गोपाल शर्मा, R/O म.नं.–2033, विक्टोरिया एंक्लेव, सेक्टर 50–6, चंडीगढ़	उपाध्यक्ष	Commandant ITBP (Retd)	
3.	कबुल सिंह बजवा s/o श्री मेजर सिंह बजवा R/O वार्ड नं.–7, कुरली SAS नगर	महासचिव	IG ITBP (Retd)	
4.	मान सिंह ठाकुर s/o श्री प्रेम सिंह ठाकुर R/O C-74 केन्द्रीय बिहार–II सेक्टर 25, पंचकूला	संयुक्त सचिव	Dy. Comdt ITBP (Retd)	
5.	हरपाल सिंह कंवर s/o श्री आज्ञा राय ठाकुर, R/O म.नं.–152, कृष्ण एंक्लेव खरार रोड ब्रिंज, कानपुर, खरार जिला SAS नगर	खजांची	Asstt. Comdt ITBP (Retd)	
6.	प्रेमचन्द सैनी s/o श्री बद्री राम, R/O म. नं.–36, ब्लॉक–129 सेक्टर 32–A, चंडीगढ़	सहायक खजांची	Asstt. Comdt ITBP (Retd)	
7.	राज सिंह s/o श्री बनवारी लाल R/O म. नं. –1035, द्वितीय तल सेक्टर 19–B, चंडीगढ़	कार्यकारी सदस्य	Comdt ITBP (Retd)	
8.	लक्ष्मण सिंह नेगी s/o श्री डी0एस0 नेगी R/O #02, कुषाल एंक्लेव, पार्ट–जिराकपुर, जिला– SAS नगर	कार्यकारी सदस्य	Asstt. Comdt ITBP (Retd)	
9.	राजेन्द्र सिंह यादव s/o श्री रामजीवन यादव, R/O म.नं.–315 सेक्टर 19, हुडा पंचकूला	कार्यकारी सदस्य	Inspector ITBP (Retd)	
10.	महेन्द्र सिंह s/o स्व0 राय सिंह, R/O म. नं. –580 B-014, 01052, पालम एंक्लेव जिराकपुर, जिला– SAS नगर मोहाली नगर	कार्यकारी सदस्य	Inspector ITBP (Retd)	
11.	मिस. विनोद वषिष्ठ R/O #2 ट्रिब्यून कॉम्प्लेक्स रायपुर खुर्द, चंडीगढ़	कार्यकारी सदस्य	Inspector ITBP (Retd)	

गवाह 1. हस्ता0–
नाम–
पता–

Scanned by CamScanner

गवाह 2. हस्ता0–
नाम–
पता–

VII. इच्छुक व्यक्ति–

हम, अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता एसोसिएशन (सोसाइटी के इस ज्ञापन के अनुसरण में समाज पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत "अखिल भारतीय भूतपूर्व–आईटीबीपी फोर्स पर्सनल एसोसिएशन" नामक एक एसोसिएशन) सोसायटी बनाने की इच्छा रखते हैं।

क्र.सं.	नाम व पता	पद नाम	व्यवसाय	हस्ताक्षर
1.	महेन्द्र सिंह भुर्जी s/o सुरेन्द्र सिंह भुर्जी R/O म.नं.–1082, फेज–9 SAS NAGAR (mohali)	अध्यक्ष	IG ITBP (Retd)	
2.	देव राज शर्मा s/o जय गोपाल शर्मा, R/O म.नं.–2033, विक्टोरिया एंक्लेव, सेक्टर 50–6, चंडीगढ़	उपाध्यक्ष	Commandant ITBP (Retd)	
3.	कबुल सिंह बजवा s/o श्री मेजर सिंह बजवा R/O वार्ड नं.–7, कुरली SAS नगर	महासचिव	IG ITBP (Retd)	
4.	मान सिंह ठाकुर s/o श्री प्रेम सिंह ठाकुर R/O C-74 केन्द्रीय बिहार–II सेक्टर 25, पंचकूला	संयुक्त सचिव	Dy. Comdt ITBP (Retd)	
5.	हरपाल सिंह कंवर s/o श्री आज्ञा राय ठाकुर, R/O म.नं.–152, कृष्ण एंक्लेव खरार रोड ब्रिंज, कानपुर, खरार जिला SAS नगर	खजांची	Asstt. Comdt ITBP (Retd)	
6.	प्रेमचन्द सैनी s/o श्री बद्री राम, R/O म. नं.–36, ब्लॉक–129 सेक्टर 32–A, चंडीगढ़	सहायक खजांची	Asstt. Comdt ITBP (Retd)	
7.	राज सिंह s/o श्री बनवारी लाल R/O म. नं.–1035, द्वितीय तल सेक्टर 19–B, चंडीगढ़	कार्यकारी सदस्य	Comdt ITBP (Retd)	
8.	लक्ष्मण सिंह नेगी s/o श्री डी0एस0 नेगी R/O #02, कुषाल एंक्लेव, पार्ट–जिराकपुर, जिला– SAS नगर	कार्यकारी सदस्य	Asstt. Comdt ITBP (Retd)	
9.	राजेन्द्र सिंह यादव s/o श्री रामजीवन यादव, R/O म.नं.–315 सेक्टर 19, हुडा पंचकूला	कार्यकारी सदस्य	Inspector ITBP (Retd)	
10.	महेन्द्र सिंह s/o स्व0 राय सिंह, R/O म. नं. –580 B-014, 01052, पालम एंक्लेव जिराकपुर, जिला– SAS नगर मोहाली नगर	कार्यकारी सदस्य	Inspector ITBP (Retd)	
11.	मिस. विनोद वशिष्ठ R/O #2 ट्रिब्यून कॉम्प्लेक्स रायपुर खुर्द, चंडीगढ़	कार्यकारी सदस्य	Inspector ITBP (Retd)	

Scanned by CamScanner

नियम और विनियम

I. परिभाषाएं:

इन नियमों और विनियमों में, जब तक संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो, 1860 के समाज पंजीकरण अधिनियम में परिभाषित अभिव्यक्ति, या लागू होने के लिए इसके किसी भी वैधानिक संशोधन के अर्थ में उस अर्थ को परिभाषित किया जाएगा।

a) 'संबद्धता निकाय' का अर्थ एसोसिएशन के नियमों के तहत संबद्ध रूप से भूतपूर्व–आईटीबीपी कर्मियों का एक संगठन या समाज या निकाय है।

b) "आर्बिट्रेशन" मध्यस्थता और समझौता अधिनियम, 1996 के तहत परिभाषित अर्थ और संदर्भ रखेगा।

c) "BYE-LAWS" का मतलब एसोसिएशन के उप–नियम हैं।

d) "कार्ड" का मतलब एसोसिएशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी सदस्यता कार्ड–सह–पहचान पत्र है।

e) "समिति एवं उप समिति" का अर्थ समिति की परिषद द्वारा विधिवत नियुक्त समितियों और उप समितियों से है।

g) "काउंसिल" का अर्थ है एसोसिएशन के शासी निकाय को विधिवत प्रदान किए जाने के बाद गठित किया गया।

h) "डिपेन्डेन्ट" (आश्रित/निर्भर) का अर्थ है पत्नी, यदि पुनर्विवाह नहीं हुई है, तो छोटे बच्चे, माता–पिता, भाई और बहन पूरी तरह से निर्भर हैं।

i) Ex-ITBP (भूतपूर्व–आईटीबीपी) का अर्थ है उन व्यक्तियों जिन्होंने भारत–तिब्बती सीमा पुलिस बल में सेवा की है।

j) "एसोसिएशन" का अर्थ अखिल भारतीय भूतपूर्व–आईटीबीपी बल कर्मी कल्याण संघ, जिसका संक्षिप्त शीर्षक **AIEFPWA** है।

k) "वित्तीय वर्ष" का अर्थ है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एसोसिएशन का आधिकारिक वर्ष है।

l) "फॉर्म" का अर्थ है सदस्यता फॉर्म, नामांकन और/या एसोसिएशन के नियमों द्वारा निर्धारित अन्य फॉर्म।

Scanned by CamScanner

m) "मीटिंग" का मतलब वार्षिक सामान्य बैठक/अतिरिक्त सामान्य बैठक और परिषद या अन्य समितियों और उप समितियों की बैठक, जैसा कि समय–समय पर संघ और एसोसिएशन के उप कानूनों के अनुसार बुलाया जाता है।

n) "हेडक्वॉर्टर" का मतलब एसोसिएशन के पंजीकृत कार्यालय है।

o) "सदस्य" का अर्थ है संस्थापक सदस्य, जीवन सदस्य, निर्वाचक सदस्य और एसोसिएशन के नियमों में परिभाषित सदस्य।

p) "रजिस्टर" का मतलब सदस्यों का रजिस्टर, सामान्य मुहर और/या अन्य रजिस्टरों के पंजिका है।

II. एसोसिएशन की शक्तियाँ

1. एसोसिएशन के पास अपने उद्देश्यों और इरादों को प्राप्त करने के लिए आकस्मिक या अनुकूल सभी चीजों को करने की शक्ति है।

2. उप नियम (1), को सीमित किए बिना एसोसिएशन कर सकता है–

(a) अचल या निजी संपत्ति अधिग्रहण, पकड़ और निपटान;

(b) वित्तीय संस्थानों के साथ खाता खोलना और संचालित करना;

(c) किसी भी सुरक्षा में अपने पैसे का निवेश कानूनी रूप से करना ;

(d) किसी भी शर्तों पर और किसी भी तरीके से पैसे बढ़ाना और उधार लेना;

(e) उठाए गए या उधारित धन की चुकौती, या ऋण या देयता का भुगतान सुरक्षित करना;

(f) अपनी तरफ से व्यापार करने के लिए एजेंटों को नियुक्त करना;

(g) किसी भी अन्य अनुबंध में प्रवेश करना जो आवश्यक या वांछनीय है।

3. एसोसिएशन लाभ संगठन के लिए नहीं रहेगा और यह किसी भी अधिशेष, आय या परिसंपत्तियों को सीधे या परोक्ष रूप से अपने सदस्यों को वितरित नहीं करेगा।

हालांकि, यह नियम एसोसिएशन को सदस्य का भुगतान करने से नहीं रोकता है–

(a) सदस्य द्वारा किए गए खर्चों के लिए प्रतिपूर्ति; या

(b) सदस्य द्वारा प्रदान की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं के लिए।

Scanned by CamScanner

III. संरक्षक (PATRONS)

1. एसोसिएशन में चीफ में एक संरक्षक और कई संरक्षक हो सकते हैं।

2. परिषद या जनरल बॉडी की सलाह पर अध्यक्ष प्रमुख व्यक्तियों को संरक्षक बनने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं, जिन्हें संरक्षक–इन–चीफ के रूप में तय किया जा सकता है।

IV. सदस्यता

एसोसिएशन की सदस्यता

1. एसोसिएशन की सदस्यता सेवानिवृत्त आईटीबीपी, उनके परिवारों, आश्रितों, कर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों दोनों के लिए खुले हैं तथा लड़ाकू एवं गैर–लड़ाकू संवर्ग के कार्यकर्ताओं की सदस्यता एसोसिएशन की सदस्यता प्राप्त करने के लिए योग्य है।

2. एसोसिएशन के सदस्यों में शामिल होंगे–

   i. Founder Member– उन सभी भूतपूर्व–आईटीबीपी कर्मियों (AIEFPWA) जिन्होंने एसोसिएशन के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

   ii. प्रारंभिक सदस्य– वार्षिक शुल्क का भुगतान करने के बाद वर्तमान वर्ष के लिए एसोसिएशन के रजिस्टर पर सदस्य हैं।

   iii. जीवन सदस्य– जीवन सदस्यता शुल्क का भुगतान करने के बाद एसोसिएशन के स्थायी रजिस्टर पर सदस्य है।

3. प्रत्येक सदस्य एसोसिएशन और संघ के नियमों और विनियमों से बंधेगा।

V. शुल्क

1. साधारण सदस्यों के लिए वार्षिक सदस्यता अंशदान निम्नानुसार होगी–

   i) G.O. (राजपत्रित अधिकारी) : रु. 1000/

   ii) अधिनस्थ अधिकारी : रु. 500/

   iii) Other's. अन्य रैंक : रु. 200/

2. जीवन सदस्यों के लिए सदस्यता अंशदान निम्नानुसार होगी

   i) G.O. (राजपत्रित अधिकारी) : रु. 10000/

   ii) ii) S.O. (अधिनस्थ अधिकारी) : रु. 5000/

   iii) iii) Other's. अन्य रैंक : रु. 2000/

Scanned by CamScanner

3. प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को अंशदान होती है। प्रत्येक राज्य सदस्य प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक अपनी सदस्यता शुल्क अदा करें। समय पर चुकता न करने वाले सदस्य को एक अनुस्मारक भेजा जा सकता है यदि राशि अनुस्मारक के बाद भी रह जाता है, तो सदस्य का नाम रोल से हटाया जाएगा।

4. एक डिफॉल्टिंग सदस्य को फिर से प्रवेश के लिए आवेदन करना है, जिससे इस तरह के आवेदन की अंतिम स्वीकृति गवर्निंग काउंसिल के निर्णय पर होगा।

5. सदस्य का नाम सदस्यों के रजिस्टर से स्थायी रूप से हटा दिया जाएगा,

i) मृत्यु होने पर

ii) यदि गवर्निंग काउंसिल द्वारा यह प्रस्ताव द्वारा घोषित किया गया है कि एसोसिएशन के उद्देश्यों और वस्तुओं के प्रति प्रतिकूल तरीके से कार्य किया है।

iii) अगर नैतिक अशांति से जुड़े अपराध का दोषी पाया जाता है।

VI. सदस्यों की पंजीयन

सदस्यता का एक रजिस्टर एसोसिएशन द्वारा रखा जाएगा जो वार्षिक आम बैठक की तारीख से तुरंत 30 दिनों की अवधि के लिए बंद रहेगा और उस अवधि के दौरान रजिस्टर में कोई नया नाम नहीं जोड़ा जाएगा।

VII. सदस्यों के विशेषाधिकार

1. सदस्य को एसोसिएशन की बैठकों में भाग लेने और एसोसिएशन के नियमों द्वारा निर्धारित समय से या ऐसे परिषद और या जनरल बॉडी के प्रस्ताव के अनुसार ऐसे अन्य अधिकारों और विशेषाधिकारों पर उनके शक्तियों से मतदान करने का अधिकार होगा।

2. आमतौर पर नियम–1 में व्युत्पन्न हुए बिना, सदस्य विशेष रूप से निम्नलिखित अधिकारों और विशेषाधिकारों का उपयोग कर सकेगें–

a) अध्यक्ष के चुनाव, पदाधिकारी और परिषद के सदस्यों के चुनाव के उद्देश्य से सदस्य को आम बैठक में शामिल होने का अधिकार होगा।

b) सदस्य, नियमों के तहत नामांकन भरकर काउंसिल के चुनाव लेने के लिए पात्र होंगे और ऐसे निकायों की बैठक में मतदान करेंगे, जिन पर उन्हें चुना जा सकता है।

c) सभी सदस्यों को सामाजिक और अन्य कार्यों में शामिल होने का अधिकार होगा जिन्हें एसोसिएशन द्वारा समय–समय पर तय किए जा सकने वाले शुल्क के भुगतान पर व्यवस्थित किया जा सकता है।

Scanned by CamScanner

VIII. प्रबंधन

शासन परिषदः–

1. एसोसिएशन के कार्यो को एक परिषद द्वारा प्रबंधित और प्रशासित किया जाएगा जो 1860 के समाज पंजीकरण अधिनियम XXI के प्रयोजन के लिए एसोसिएशन की शासी निकाय होगा।

2. एसोसिएशन की सभी कार्यकारी और प्रशासनिक शक्ति और नियंत्रण परिषद में निहित होगा। कार्यालय पदाधिकारी और परिषद के सदस्य तब तक पद धारण करते रहेंगे जब तक नई परिषद निर्वाचित नहीं होती और नियमों के अनुसार गठित की जाती है।

3. शासन परिषद में निम्न शामिल होंगे –

   a) अध्यक्ष

   b) उपाध्यक्ष

   c) महासचिव

   d) संयुक्त सचिव

   e) खजांची

   f) उप खजांची

   g) 5 सदस्य जो कि संस्थापक, साधारण एवं जीवन सदस्य के बीच विधिवत चुने गए हो।

4. शासन परिषद की न्यूनतम संख्या 7 और अधिकतम 11 होगी। एसोसिएशन के वृद्धि के साथ, यदि आवश्यकता उत्पन्न होती है तो अधिकतम सदस्यों की संख्या में अधिकतम 2/3 बहुमत वाले सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है वार्षिक आम बैठक इस प्रभाव के लिए एक विशिष्ट संकल्प है।

5. परिषद में रिक्ति का अस्तित्व किसी भी तरह से परिषद के गठन और उसके कार्यों को दुर्बल नहीं करेगा।

6. परिषद के पास इन नियमों और सामान्य निकाय द्वारा पारित प्रस्तावों को लागू करने और निष्पादित करने की शक्ति होगी।

7. परिषद में सभी शक्तियां होंगी, सिवाय इसके कि एसोसिएशन द्वारा अपनी सामान्य बैठक में स्पष्ट रूप से प्रयोग करने की आवश्यकता है। उपरोक्त की सामान्यता के मान मे कमी किए बिना, परिषद के पास शक्ति होगी–

Scanned by CamScanner

a) एसोसिएशन के सभी या कोई भी वस्तुओं के लिए धन एकत्रित करे, प्रतिबंधित करे और वितरित करे।

b) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या किसी अन्य राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक, यूनिट ट्रस्ट और/डाकघर के साथ एसोसिएशन के नाम पर बैंकिंग खाते (चालू, लंबी/अवधि/सावधि जमा, बचत बैंक सहित) खोले और संचालित करे। ऐसे सभी खाते अध्यक्ष, महासचिव और खजांची के संयुक्त हस्ताक्षरों पर संचालित किए जाएंगे।

c) पोस्ट ऑफिस, बचत बैंक या डाक प्रमाण पत्र या यूनिट ट्रस्ट में और उपर्युक्त तत्काल जरूरतों पर विचार किए गए ऐसे फंडों का निवेश करें।

d) प्रतिभूतियों के खिलाफ ब्याज सहित अथवा बिना ब्याज के उधार लेना और/या किसी भी राशि जमा करना जो किसी भी समय आवश्यकता/चालू खाते का वृद्धि या किसी भी आपातकाल को पूरा करने के लिए, और सावधि जमा, प्रतिभूतियों या डाक प्रमाण पत्रों का निपटान के लिए उचित विचार किया जा सकता है।

e) विकास के लिए किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों, स्थानीय प्राधिकरण या सरकार से लोन लेने के लिए ताकि एसोसिएशन के लिए फंड तैयार किया जा सके।

f) एसोसिएशन की सभी या किसी भी चल या अचल संपत्ति के साथ बिक्री, लीज, स्थानांतरण या अन्यथा निपटान प्रबंधित करें।

g) किसी भी संगठन या एफिलियटेट (संबद्ध) सोसाइटी की ओर से किसी भी चल या अचल संपत्ति को ट्रस्ट में रखें।

h) समितियों/उप–समितियों को अपने सदस्यों में से नियुक्त कर सकते हैं या एसोसिएशन के सदस्यों को बना सकते हैं और उन्हें ऐसे कार्यों के सदस्यों को प्रतिनिधि दे जिन्हें नियमों के अनुसार उचित समझा जा सकता है।

i) वर्ष के दौरान समितियों/उप–समितियों में होने वाली किसी भी रिक्ति को भरें।

j) काउंसिल की शक्ति के प्रयोग में आवश्यक हो सकता है कि किसी भी वचन पत्र, विनिमय का बिल और अन्य विवादास्पद उपकरणों और ऐसे अन्य दस्तावेजों को लागू, स्वीकार, समर्थन और निष्पादित करें।

k) नियुक्ति, अधिमानतः एक योग्य भूतपूर्व आईटीबीपी मानदंड या भुगतान चार्टर्ड/पंजीकृत एकाउंटेंट, ऑडिटर के रूप में, जो अक्सर वह आवश्यक

Scanned by CamScanner

लेखापरीक्षा के रूप में एसोसिएशन के खातों को ध्यान रखता है। लेखा परीक्षक की नियुक्तियां सामान्य निकाय की मंजूरी के अधीन होंगी।

l) किसी भी सदस्य को भारत या विदेश में भूतपूर्व आईटीबीपी कर्मियों के किसी भी सम्मेलन या असेंबली में एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त करे यदि यात्रा के अपने खर्चों को पूरा करने और रहने के लिए आवश्यक हो।

m) एसोसिएशन की ओर से या तो मानदंड या भुगतान क्षमता में ऐसी कार्यवाही करने के लिए और अभियोजन के लिए आवश्यक सभी कार्य करने के लिए कानूनी कार्यवाही का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी भी सदस्य, या किसी अन्य व्यक्ति को अधिकृत करना, समझौता करने की शक्ति और लागत, किसी आकस्मिक शुल्क और व्यय का भुगतान, एवं उपर्युक्त सभी मामलों के लिए।

n) एसोसिएशन के मुख्यालय के लिए एक कार्यालय सचिव और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा की अपनी शर्तों को व्यवस्थित करने के लिए।

o) अंततः एसोसिएशन के सभी उद्देश्यों और वस्तुओं से संबंधित सभी कार्यकारी और प्रशासनिक मामलों के साथ सौदा ; तथा

p) एसोसिएशन के ज्ञापन और नियमों में उल्लिखित उद्देश्यों और वस्तुओं के प्रयोग को, समय से सामान्य निकाय, फ्रेम नियम और उप–कानूनों की मंजूरी के अधीन नियंत्रित करने के लिए।

q) प्रतियोगिता, खेल, प्रतियोगिताओं आदि आयोजित करके धन एकत्रित करने, प्रबंधित करने और वितरित करने के लिए।

r) एसोसिएशन द्वारा अधिग्रहित या किराए पर लेने वाली किसी भी इमारत और संपत्ति को ऐसी शर्तों पर इस्तेमाल करने की अनुमति देने के लिए, जो बैठकों, व्याख्यान, चर्चाएं प्रदर्शनियों, नाटकों और किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयुक्त हो सकता है, इसकी वस्तुओं की उपलब्धि और आगे बढ़ने के लिए ।

8. परिषद आम तौर पर तीन महीने में एक बार मिलेगी क्योंकि परिषद के अध्यक्ष यह निर्णय ले सकते हैं कि एक वर्ष में दो से कम बैठकें नहीं होंगी।

9. परिषद की किसी भी आम बैठक के लिए नोटिस महासचिव द्वारा दिया जाएगा ताकि बैठक की तारीख से कम से कम पखवाड़ा तक सदस्य तक पहुंच सके, सिवाय इसके कि अध्यक्ष द्वारा बुलाए गए किसी विशेष बैठक के मामले में, नोटिस सात दिन का हो सकता है।

Scanned by CamScanner

10. आम बैठक की तारीख से कम से कम आठ दिन पहले महासचिव द्वारा एजेंडा प्रसारित किया जाएगा।

11. उपस्थिति के लिए न्यूनतम 6 सदस्य बैठक के लिए कोरम बनेंगे।

12. शासन परिषद की नियुक्ति कार्यालय में उनके चुनाव की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए होगी।

13. परिषद के नामित सदस्य या सदस्यगण लगातार मामले में केवल दो बार पात्र होंगे, हालांकि शीतकालीन अवधि के रूप में लगातार तीसरे वर्ष के अंतराल के बाद, किसी भी सदस्य को शासन परिषद के नए चुनाव के लिए फिर से नामांकित किया जा सकता है।

14. पहली शासन परिषद के लिए चुनाव का आयोजन एसोसिएशन के पंजीकरण के तीन वर्षों के भीतर किया जाएगा।

15. शासन परिषद चुनाव के नामित तिथियों से एक महीने पहले अपना कार्यालय नियंत्रण बंद करेगी और उसके बाद निर्धारित वार्षिक आम बैठक के दौरान आयोजित करने के लिए समिति को सौंप दिया जाएगा।

IX. अनुशासन समिति

1. शासन परिषद, किसी सदस्य द्वारा डिफॉल्ट/दुर्व्यवहार या विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने के किसी भी मामले में अनुशासन समिति का गठन कर सकता है ताकि इस तरह के डिफॉल्ट/दुर्व्यवहार या विशेषाधिकारों के उल्लंघन के बारे में पूछताछ किया जा सके। ऐसा कोई भी गठन एसोसिएशन के उप–कानूनों के अनुसार होगा।

2. इसमें तीन सदस्य शामिल होंगे, ऐसी समिति के सदस्य में से कम से कम एक सदस्य गवर्निंग काउंसिल का सदस्य होगा।

3. अनुशासन समिति सदस्यों के कार्यों पर अनुशासन के सभी मामलों की समीक्षा और उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए गवर्निंग काउंसिल को सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार होगी।

(X) मुख्यालय

1. महासचिव मुख्यालय के प्रभारी होंगे और उनके ड्यूटियां संक्षेप में इस प्रकार होंगे–

   a) एसोसिएशन की सभी सम्मेलनों और बैठकों में भाग लेने और इसके कार्यवाही को मिनटों में रिकॉर्ड के लिए;

Scanned by CamScanner

b) एसोसिएशन की बैठकों के सभी प्रस्तावों और कार्यवाही का उचित रिकॉर्ड रखने और संकल्पों में उचित कार्रवाई करने के लिए;

c) एसोसिएशन के प्रशासन और नीति से संबंधित सभी मामलों पर सलाह देना।

d) कार्यालय पदाधिकारियों के नाम और पते और प्रत्येक वार्षिक/अतिरिक्त सामान्य बैठक में अन्य उपस्थिति, और परिषद और समितियों और उप–समितियों की बैठकों के उचित रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए।

e) एसोसिएशन की सभी पुस्तकों और रिकॉर्ड की देखरेख करने के लिए।

f) एसोसिएशन के सभी कर्मचारियों के उचित रजिस्टर और अभिलेख बनाए रखने के लिए जो सभी अपने प्रशासनिक नियंत्रण में होंगे।

g) एसोसिएशन के सभी पुस्तकों और अभिलेखों की देखरेख करने के लिए।

h) परिषद और वार्षिक आम बैठक में जमा करने के लिए एसोसिएशन की वार्षिक रिपोर्ट का मसौदा तैयार करना।

i) विभिन्न घटक और संबद्ध संगठनों और ऐसे अन्य अभिलेखों के कामकाज पर आवश्यक जानकारी को बनाए रखने के लिए।

j) खुद को खजांची के संपर्क में रखने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि एसोसिएशन के मुख्यालय से जारी सभी चेक और विनिमेय दस्तावेज परिषद द्वारा अधिकृत व्यक्तियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हैं।

k) सदस्यों, सदस्यता कार्ड और बैज के रजिस्टर को बनाए रखने के लिए।

l) एसोसिएशन की सभी संपत्ति के संरक्षक होने के लिए।

XI. वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम)

1. वर्ष में एक बार एक वार्षिक आम बैठक होगी जोकि परिषद के द्वारा समय और जगह निर्धारित की जा सकती है। बैठक से कम से कम 20 दिन पहले एसोसिएशन के सभी सदस्यों को महासचिव द्वारा वार्षिक आम बैठक की सूचना दी जाएगी। परिषद के अध्यक्ष बैठक के अध्यक्ष होंगे।

2. वार्षिक आम बैठक के लिए एजेंडा तैयार करने में परिषद को अधिकार होगा;

a) उस आदेश को दृढ़ निश्चय करने के लिए जिसमें एजेंडा में व्यवसाय सम्मिलित था।

Scanned by CamScanner

b) एक या अधिक प्रस्तावों में एकीकृत करने के लिए, सभी प्रस्तावों को पूरी तरह या भाग में कवर करने के लिए।

c) किसी भी संकल्प को अस्वीकार करने के लिए जिसे एसोसिएशन के उद्देश्य और वस्तुओं, या अनियमित या आदेश से असंगत माना जा सकता है; तथा

d) किसी भी संकल्प को फ्रेम और पेश करने के लिए जिसे सामान्य निकाय के विचार के लिए आवश्यक माना जा सकता है।

3. किसी भी सदस्य द्वारा स्थानांतरित किए जाने वाले प्रस्तावित सभी प्रस्तावों की सूचना महासचिव को विधिवत रूप से लिखित में दी जाएगी जो वार्षिक आम बैठक से 30 दिन पहले दी जाएगी।

4. एजेंडा को कम से कम 14 दिन पहले महासचिव द्वारा प्रसारित किया जाएगा।

5. पच्चीस व्यक्तियों या पांच प्रतिशत सदस्यों को मतदान करने का हक, जो भी अधिक, वार्षिक आम बैठक में या अतिरिक्त सामान्य बैठक में उपस्थित होते हैं, एक कोरम बनेंगे।

6. वार्षिक आम बैठक में निम्नलिखित व्यवसायों का लेनदेन किया जाएगा;

a) पिछली बैठक के मिनटों की पुष्टि।

b) पिछले वर्ष की प्रस्तुति और वर्ष का गुजरना;

i. वार्षिक रिपोर्ट।

ii. लेखा परीक्षित और प्रमाणित बैलेंस शीट और लेखा।

c) तीन साल की अवधि के लिए पदाधिकारी और परिषद के सदस्यों का चुनाव।

d) संकल्पों की चर्चा और उसका अमल;

e) इस तरह के अन्य व्यवसाय को एजेंडा पर रखा जा सकता है या अध्यक्ष द्वारा अनुमति दी जा सकती है।

7. अन्यथा उपलब्ध होने के अलावा सभी निर्णय बहुमत से होंगे।

8. यदि वार्षिक आम बैठक के लिए नियुक्त समय से आधे घंटे के भीतर कोरम मौजूद नहीं है, तो बैठक स्थगित कर दी जाएगी। परिस्थिति अनुसार आवश्यकता होने पर, अध्यक्ष द्वारा कुछ और समय बढ़ाया जा सकता है।

9. कार्यकारी समिति, चुनाव होने से कम से कम एक महीने पहले एक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करेगी, जो न तो किसी भी कार्यालय के लिए उम्मीदवार है और न ही उम्मीदवार का एक सक्रिय समर्थक है जो पदाधिकारी और परिषद के सदस्यों के चुनाव आयोजित करता है। चुनाव अधिकारी सदस्यों के मार्गदर्शन के लिए निर्देश तैयार करेगा। वह उम्मीदवारों के आवेदनों को उनकी वैधता के लिए जांच करेगा। यदि कोई

Scanned by CamScanner

मुद्दा उठाया गया है तो आपत्तियों पर विचार करें, उनका निर्णय अंतिम होगा। वह निष्पक्ष तरीके से मतदान का संचालन करेंगे, और चुनाव के परिणाम पर उनका निर्णय अंतिम होगा।

XII. अतिरिक्त सामान्य बैठक (ईजीएम)

1. जब भी आवश्यक और उपयुक्त माना जाता है, तो परिषद या अध्यक्ष द्वारा अतिरिक्त सामान्य बैठक आयोजित की जा सकती है। इस तरह की बैठक को 2/3 से कम सदस्यों की मांग पर भी बुलाया जाएगा।

2. ऐसी बैठक वार्षिक आम बैठक के समान ही अधिसूचित की जाएगी और प्रक्रिया के समान नियमों द्वारा शासित होगी, सिवाय इसके कि नोटिस की न्यूनतम अवधि 30 दिन होगी। अतिरिक्त सामान्य बैठक से संबंधित नोटिस उस विशिष्ट उद्देश्य को बताएगा जिसके लिए उसे बुलाया जा रहा है और अधिसूचित किए गए किसी अन्य व्यवसाय को ऐसी बैठक में लेनदेन नहीं किया जाएगा।

3. अतिरिक्त सामान्य बैठक से पहले लाए जाने वाले सभी मामलों की प्रस्ताव की सूचना सदस्यों द्वारा बैठक के लिए एक अनुरोध के साथ महासचिव को भेजी जाएगी।

4. यदि अनुरोध पर बुलाए गए असाधारण सामान्य बैठक के लिए निश्चित से आधे घंटे के भीतर एक कोरम मौजूद है, तो बैठक भंग हो जाएगी।

XIII. आय के स्रोत व फंड

1. एसोसिएशन निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किसी भी माध्यम से या किसी अन्य कानून–पूर्ण तरीके से धन जुटाने के लिए सामान्य निकाय/परिषद निर्णय ले सकता है;

   a) सदस्यों और संबद्ध समाजों से अंशदान।

   b) संघ और राज्य सरकारों को अपील।

   c) खेल प्रतियोगिताओं, प्रदर्शनियों, नृत्य उत्सव और कानून द्वारा अनुमत अन्य मनोरंजन।

   d) योगदान और उपहार के लिए आम जनता और अन्य कोष को अपील;

   e)) प्रकाशन और किताबों, दैनिक पत्रिका, सामायिक और समाचार पत्रों की बिक्री, और

   f) दान

2. एसोसिएशन के सभी फंड और संपत्ति, एसोसिएशन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए परिषद में साख (ट्रस्टी) के रूप में निहित होगी।

Scanned by CamScanner

XIV. कार्यवाही और उनके साक्ष्य

वार्षिक/अतिरिक्त सामान्य बैठक और परिषद की बैठक के सभी मिनटस, कार्यवाही, संकल्प इत्यादि महासचिव द्वारा हस्ताक्षरित और अध्यक्ष के प्रतिहस्ताक्षर हो, को सभी मामलों के सबूत के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

XV. गठन, नियम एवं उप–नियमों में परिवर्तन

1. संगठन, नियम और उप–कानूनों को केवल प्रदत्त उद्देश्य के लिए बुलाए गए वार्षिक सामान्य बैठक/अतिरिक्त सामान्य 3/5 वें मतदान के द्वारा परिवर्तन, संशोधन या जोड़ा जा सकता है जो कि संशोधन सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अनुसार एसोसिएशन के ज्ञापन के लिए किया जाएगा।

2. कम से कम दो महीने पहले लिखित रूप में महासचिव के माध्यम से परिषद में इस तरह के बदलाव, या संशोधन या हटाना या जोड़ने की सूचना दी जाएगी।

3. काउंसिल की राय के साथ बैठक में पिछले एक महीने पहले सभी सदस्यों को परिवर्तन या हटाने या जोड़ने की सूचना दी गई थी, उस पर यदि कोई हो।

XVI. विघटन/संपत्ति का निपटारा

1. एसोसिएशन को वार्षिक आम बैठक में या अतिरिक्त सामान्य बैठक में मौजूद एसोसिएशन के सदस्यों के 3/4 मतदान से भंग किया जा सकता है और उस उद्देश्य के लिए बुलाया जा सकता है एवं जिसके लिए सदस्यों को एक महीने का नोटिस दिया जाएगा।

2. विघटन पर एसोसिएशन की संपत्तियां सभी कानूनी देनदारियों के निर्वहन के बाद विघटन को अधिकृत करने वाली बैठक द्वारा निर्देशित की जा सकती हैं, सिवाय इसके कि भूमि और भवन के साथ संबंधित किसी भी किराये से संबंधित अचल संपत्ति या तो सरकार की पूर्व अनुमति के साथ कुछ समान संस्थान पर जिम्मा या न्यूनतम हैं, यह किसी भी मुआवजे के भुगतान के बिना उपरोक्त सरकार को वापस कर देगा। इस तरह के एक प्राधिकरण को विफल करने से संपत्ति परिषद या निस्तारण द्वारा एसोसिएशन के प्रयोजन पर खर्च की जाएगी, यदि संघ द्वारा नियुक्त कोई भी विघटन की संपूर्ण कार्यवाही को नियंत्रित करेगा।

XVII. नियम एवं उप कानूनों का संचालन

1. सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत सभी प्रावधान एसोसिएशन में लागू होंगे।

2. गवर्निंग काउंसिल के सदस्यों की एक सूची जिसके लिए एसोसिएशन के कार्यालय का प्रबंधन किया गया है, को आवश्यकतानुसार सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 की धारा 4 के तहत पंजाब सोसायटी के रजिस्टर के साथ दायर किया जाएगा।

Scanned by CamScanner

CERTIFICATE OF REGISTRATION OF SOCIETIES

(ACT. XXI OF 1860)

ROFS/PB/ 0019 of 2018-19
No.

I hereby certify that ALL INDIA EX- ITBP FORCE PERSONNEL WELFARE ASSOCIATION, NEAR CHAWLA RESTAURANT, DASHMESH NAGAR, WARD No. 7, KURALI, DISTT. SAS NAGAR.

has this day been registered under the Societies Registration Act. (XXI of 1860) and as amended by Punjab Amendment Act. 1957

Given under my hand at Chandigarh this 25th

day of APRIL

Two thousand EIGHTEEN

Fee Rs. 500/-

Registrar of Firms & Societies, Punjab

25/4/18

REGISTRAR OF FIRMS & SOCIETIES
PUNJAB CHANDIGARH

Scanned by CamScanner